संख्या-5/2026/421/002-83-1002-1-2024/1856860

प्रेषक,

मनोज कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा,उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 22 अप्रैल,2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 के पत्रांक 350/अनु-2/बजट/2026, दिनांक 09.04.2026 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू विभाग के वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक की लेखाशीर्ष संख्या-2070-106-03-0301, लेखाशीर्ष-2070-106-03-0302 एवं लेखाशीर्ष संख्या-2070-106-05-0501 के अंतर्गत राजस्व लेखा में प्राविधानित कुल धनराशि रु0 4434.68 लाख (रु0 चौवालीस करोड़ चौंतीस लाख अड़सठ हजार मात्र) में से रु0 4323.04/- लाख (रु0 तैंतालीस करोड़ तेईस लाख चार हजार मात्र) की धनराशि को वित्त विभाग के उक्त कार्यालय-ज्ञाप में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

(1) आवंटित की गयी धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग कर ली जाय, जो सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक न हो।

(3) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाय, ताकि अपव्यय को रोका जा सके। अतः यात्रा व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं ईधन पर व्यय की मदों के अन्तर्गत होने वाले व्यय को पूरा किया जा सके और स्वीकृत धनराशि का व्यय समान रूप से प्रतिमाह सीमित रखते हुए पूरे वित्तीय वर्ष के लिये किया जाय।

(4) प्रत्येक माह के व्यय की सूचना अगले माह की 05 तारीख तक अनिवार्यतः शासन तथा वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 को बी0एम0-13 पर उपलब्ध करा दें।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) (प्रथम),उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखापरीक्षक) (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज व उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिये उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्पट्रोलर एवं आडिटर जनरल, भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिये भी उपलब्ध रहेगा।

(7) बजट में प्राप्त धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या बी0-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(9) धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(10) स्वीकृत धनराशि के आवंटन/व्यय के संबंध में विभाग स्तर से समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं निर्देशों का पूर्णरूप से अनुपालन करते हुए धनराशि का व्यय/उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) धनराशि की स्वीकृति/आहरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2070001060301 (सामान्य)

-	अनुदान सं०	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	027	2070001060301 सामान्य	08 कार्यालय व्यय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
2	027	2070001060301 सामान्य	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
3	027	2070001060301 सामान्य	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
4	027	2070001060301 सामान्य	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
5	027	2070001060301 सामान्य	51 वर्दी व्यय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
	कुल			7,36,000 (रुपये सात लाख छत्तीस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2070001060302 (भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत)

-	अनुदान सं०	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	01 वेतन	2,50,20,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख बीस हजार मात्र)
2	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	03 मंहगाई भत्ता	1,62,63,000 (रुपये एक करोड बासठ लाख तिरेसठ हजार मात्र)
3	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति	04 यात्रा व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत		
4	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
5	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	06 अन्य भत्ते	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	07 मानदेय	5,000 (रुपये पाँच हजार मात्र)
7	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	08 कार्यालय व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
8	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
9	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
10	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	13 टेलीफोन पर व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
11	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
12	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	42 अन्य व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
13	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

		प्रतिशत		
14	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,60,000 (रुपये एक लाख साठ हजार मात्र)
15	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	49 चिकित्सा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
16	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	51 वर्दी व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
17	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	55 मकान किराया भत्ता	35,50,000 (रुपये पैंतीस लाख पचास हजार मात्र)
18	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			6,98,08,000 (रुपये छह करोड़ अट्ठानवे लाख आठ हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2070001060501 (सामान्य)

-	अनुदान सं०	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	027	2070001060501 सामान्य	01 वेतन	15,10,50,000 (रुपये पन्द्रह करोड़ दस लाख पचास हजार मात्र)
2	027	2070001060501 सामान्य	02 मजदूरी	4,86,57,000 (रुपये चार करोड़ छियासी लाख सतावन हजार मात्र)
3	027	2070001060501 सामान्य	03 मंहगाई भत्ता	9,81,83,000 (रुपये नौ करोड़ इक्यासी लाख तिरासी हजार मात्र)
4	027	2070001060501 सामान्य	04 यात्रा व्यय	5,50,000 (रुपये पाँच लाख पचास हजार मात्र)
5	027	2070001060501 सामान्य	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
6	027	2070001060501 सामान्य	07 मानदेय	50,000 (रुपये पचास हजार

http://shasanadesh.up.gov.in

				मात्र)
7	027	2070001060501 सामान्य	08 कार्यालय व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
8	027	2070001060501 सामान्य	09 विद्युत देय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
9	027	2070001060501 सामान्य	10 जलकर / जल प्रभार	1,20,000 (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र)
10	027	2070001060501 सामान्य	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
11	027	2070001060501 सामान्य	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,85,00,000 (रुपये एक करोड़ पचासी लाख मात्र)
12	027	2070001060501 सामान्य	13 टेलीफोन पर व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
13	027	2070001060501 सामान्य	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
14	027	2070001060501 सामान्य	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
15	027	2070001060501 सामान्य	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
16	027	2070001060501 सामान्य	29 अनुरक्षण	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
17	027	2070001060501 सामान्य	42 अन्य व्यय	13,00,000 (रुपये तेरह लाख मात्र)
18	027	2070001060501 सामान्य	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
19	027	2070001060501 सामान्य	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
20	027	2070001060501 सामान्य	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
21	027	2070001060501 सामान्य	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
22	027	2070001060501 सामान्य	49 चिकित्सा व्यय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
23	027	2070001060501 सामान्य	51 वर्दी व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

24	027	2070001060501 सामान्य	55 मकान किराया भत्ता	90,50,000 (रुपये नब्बे लाख पचास हजार मात्र
	कुल			36,17,60,000 (रुपये छत्तीस करोड़ सत्रह लाख साठ हजार मात्र)

महायोग	43,23,04,000 (रूपये तैंतालीस करोड तेईस लाख चार हजार मात्र।)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार राय
विशेष सचिव ।

संख्या-5/2026/421(1)/002-83-1002-1-2024/1856860, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
जय सिंह
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।